प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार

प्रलिम्सि के लयि:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मेन्स के लयि:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर नकिलने वाले राज्य, PMFBY संबंधी मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र ने संकेत दयिा है कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो सकता है।

- आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कृषि प्रधान राज्य पहले ही इस योजना से बाहर हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से संबंधति प्रमुख प्रावधान:

- वर्ष 2016 में PMFBY को लॉन्च किया गया तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासति किया जा रहा है।
- इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधति राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) को परविर्तति कर दयिा गया।
- **उद्देश्य:** फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थरि करने में मदद मलि सके।
- **क्षेत्र/दायरा:** वे सभी खाद्य और तलिहनी फसलें तथा वार्षकि वाणज्यिकि/बागवानी फसलें, जनिके लयि पछिली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।
- **बीमा कस्ति:** इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली नर्धारति बीमा कस्ति/प्रीमयिम- खरीफ की सभी फसलों के लयि 2% और सभी रबी फसलों के लयि 1.5% है। वार्षकि वाणज्यिकि तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा कस्ति 5% है।
  - किसानों के हस्सि की प्रीमयिम लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सडिी के रूप में बराबर साझा किया गया था।
  - हालाँकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा कस्ति सब्सडिी का 90% हस्सिा वहन किया जाता है।
- **कार्यान्वयन:** इसका कार्यान्वयन पैनल में शामलि सामान्य बीमा कंपनयिों द्वारा किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी (IA) का चयन संबंधति राज्य सरकार बोली के माध्यम से करती है।
- **संशोधति PMFBY:** संशोधति PMFBY को अक्सर **PMFBY 2.0** कहा जाता है, इसकी नम्निलखिति वशिषताएँ हैं:
- **पूर्ण रूप से स्वैच्छकि**: वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पकि है।
  - इससे पहले अधसिूचति फसलों के लयि फसल ऋण/किसान क्रेडटि कार्ड (KCC) खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लयि यह योजना अनविार्य थी।
- **केंद्रीय सब्सडिी की सीमा:** कैबनिट ने इस योजना के तहत प्रीमयिम दरों को असचिति क्षेत्रों/फसलों के लयि 30% और सचिति क्षेत्रों/फसलों हेतु 25% तक सीमति करने का नर्णिय लयिा है। उल्लेखनीय है कि इन प्रीमयिम दरों के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सडिी का वहन किया जाता है।
- **राज्यों को अधकि नम्यता:** सरकार ने राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों को PMFBY को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतरिक्ति जोखमि कवर/सुवधिाओं का चयन करने का वकिल्प दयिा है।
- **IEC गतविधियिों में नविेश:** बीमा कंपनयिों को सूचना, शक्षिा और संचार (IEC) गतविधियिों पर एकत्रति कुल प्रीमयिम का 0.5% खर्च करना होता है।

PMFBY से संबंधति मुद्दे:

- **राज्यों की वत्तिीय बाधाएँ:** राज्य सरकारों की वत्तिीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना को लागू न करने के प्रमुख कारण हैं।
  - राज्य ऐसी स्थिति से नपिटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनयिाँ किसानों को राज्यों और केंद्र से एकत्र किये गए प्रीमयिम दर से कम मुआवज़ा देती हैं।

    - राज्य सरकारें समय पर धनराशि जारी करने में विफल रहीं जिसके कारण बीमा क्षतिपूर्ति जारी करने में देरी हुई है।
    - इससे किसान समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
- **दावा निपटान संबंधी मुद्दे:** कई किसान मुआवज़े के स्तर और निपटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
    - ऐसे में बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में उन्होंने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं की जिस कारण दावों का भुगतान नहीं किया।
- **कार्यान्वयन के मुद्दे:** बीमा कंपनियों द्वारा उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है जो फसल के नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं।
    - बीमा कंपनियाँ अपनी प्रकृति के अनुसार यह कोशिश करती हैं कि जब फसल कम खराब हो तो मुनाफा कमाया जाए।
- **पहचान संबंधी मुद्दे:** वर्तमान में PMFBY योजना बड़े और छोटे किसानों के बीच अंतर नहीं करती है तथा इस प्रकार पहचान के मुद्दे को भी सामने लाती है। छोटे किसान सर्वाधिक कमज़ोर वर्ग हैं।

आगे की राह

- **PMFBY में सुधार**: अगर किसान प्रीमियम पर 95-98% सब्सिडी के बावजूद फसल बीमा को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि उत्पादन में सुधार की ज़रूरत है।
- इस लिहाज से बीमा कंपनियों को एक क्लस्टर के लिये करीब तीन साल की बोली लगानी चाहिये, ताकि उन्हें अच्छे और बुरे दोनों वर्षों (फसल उत्पादन के सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ में) के उचित प्रबंधन का बेहतर मौका मिल सके।
- खरीफ/रबी सीज़न की शुरुआत से पहले बोलियाँ बंद कर दी जानी चाहिये।
- **बीड मॉडल को अपनाना:** महाराष्ट्र में '**बीड मॉडल**' का पालन किया जा रहा है', जहाँ एक बीमा फर्म को सकल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक के दावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बीमाकर्त्ता को नुकसान (पूल राशि) से बचाने के लिये एकत्र किये गए प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक मुआवज़े की लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
    - यह मॉडल मौजूदा जटिलताओं से निकलने का रास्ता प्रदान कर सकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/improving-pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-scheme